पोस्ट मास्टर जनरल डाक
मंडल के पत्र क्रमांक 22/153,
दि. 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 397] भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 अगस्त 2007—श्रावण 13, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्र. 4858-313-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 अगस्त 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २००७.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७.

विषय-सूची

अध्याय—एक

प्रारंभिक

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. लागू होना.
३. परिभाषाएं.

अध्याय—दो

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

४. समिति का गठन, संरचना, निरर्हता तथा कृत्य.

अध्याय—तीन

प्रवेश

५. पात्रता.
६. सामान्य प्रवेश परीक्षा.
७. प्रवेश.
८. स्थानों का आरक्षण.

अध्याय—चार

फीस का निर्धारण

९. कारक.

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

१०. अपील.
११. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
१२. नियम बनाने की शक्ति.
१३. विनियम बनाने की शक्ति.
१४. नियमों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.
१५. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.
१६. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१७. निरसन तथा व्यावृत्ति

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २००७.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७.

[दिनांक 4 अगस्त, 2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 4 अगस्त, 2007 को प्रथमवार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश राज्य में निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन तथा फीस के निर्धारण के लिए उपबंध करने तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण हेतु तथा उनसे संसक्त या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. यह अधिनियम निम्न पर लागू होगा — लागू होना.

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा संप्रवर्तित तथा पोषित संस्थाओं से भिन्न विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं या उनकी संघटक इकाइयां जो व्यावसायिक शिक्षा दे रही हैं; और

(ख) किसी केन्द्रीय या मध्यप्रदेश अधिनियम के अधीन स्थापित किए गए किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं.

३. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) ''समुचित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मापदण्डों और शर्तों को अधिकथित करने के लिये केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय या राज्य प्राधिकारी;

(ख) ''केपीटेशन फीस'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन अवधारित फीस के अतिरिक्त, कोई भी रकम, जो या तो नकद में या वस्तु के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संदत्त या संगृहीत या प्राप्त की गई हो, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति;

(घ) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत हैं, राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिये केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिये संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;

(ङ) "फीस" से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;

(च) "विदेशी अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, विदेशी पासपोर्ट धारण करने वाला कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा दे रहे किसी डीम्ड विश्वविद्यालय में या सहायता न पाने वाले किसी निजी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश चाहता है;

(छ) "प्रबंधन" से अभिप्रेत है, सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था का प्रबंधन तथा नियंत्रण करने वाला कोई व्यक्ति या निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ज) "अल्पसंख्यक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग अधिनियम, २००४ (२००५ का २) की धारा-२ (च) के अधीन परिभाषित अल्पसंख्यक;

(झ) "अल्पसंख्यक संस्था" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा दे रही ऐसी संस्था जो किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित तथा प्रशासित की गई हो;

(ञ) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४३) की धारा ११५-ग के खण्ड (ङ) में उसके लिये दिया गया है;

(ट) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ—८५-२५-४-८४, तारीख २६ दिसम्बर, १९८४ द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ठ) "सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;

(ड) "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, समुचित प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित अध्ययन पाठ्यक्रम जैसी उपाधि, उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(ढ) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का संख्यांक ३) की धारा ३ के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाली किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;

(त) ''स्वीकृत अंतर्ग्रहण'' से अभिप्रेत और विवक्षित है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक संस्था में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये स्वीकृत स्थानों की कुल संख्या;

(थ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(द) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है.

अध्याय—दो

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

४. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस का निर्धारण के लिए एक समिति गठित करेगी जिसे प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति कहा जायेगा. समिति का गठन, संरचना, निरर्हता तथा कृत्य.

(२) समिति की अध्यक्षता सभापति (चेयरपर्सन) द्वारा की जायेगी जो किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय समझी गई संस्था का कुलपति रहा हो या ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हो जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो और इसके अन्तर्गत चार अन्य सदस्य होंगे जिन्हें वित्त, प्रशासन या विधि, तकनीकी शिक्षा तथा चिकित्सा शिक्षा के मामलों में विशेषज्ञता हासिल हो.

(३) समिति का कार्यकाल उसके अधिसूचित किये जाने की तारीख से तीन वर्ष का होगा तथा किसी भी कारण से इससे पूर्व उद्भूत होने वाली किसी रिक्ति की दशा में, राज्य सरकार द्वारा कार्यकाल के शेष भाग के लिये ऐसी रिक्ति भरी जायेगी.

(४) समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेंगी कि उसमें कोई रिक्ति है या समिति के गठन में कोई त्रुटि है.

(५) कोई व्यक्ति, जो सहायता पाने वाली या सहायता न पाने वाली निजी शिक्षण संस्था से संबद्ध है, समिति का सदस्य होने के लिये पात्र नहीं होगा.

(६) समिति का सभापति (चेयरपर्सन) या कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रहेगा यदि वह ऐसा कोई कार्य करता है जिससे राज्य सरकार की राय में उसका समिति का सभापति (चेयरपर्सन) या सदस्य के रूप में बना रहना अनुपयुक्त हो गया है.

(७) समिति, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किये गये विनियमों के अनुसार अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी.

(८) समिति, सहायता पाने वाली या सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था से या डीम्ड विश्वविद्यालय से विहित तारीख तक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी कि समिति को फीस का अवधारण करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, जो कि प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम

के संबंध में संस्था द्वारा प्रभारित की जाएगी और इस प्रकार अवधारित की गई फीस, ऐसी कालावधि के लिये विधिमान्य होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए.

(९) समिति, इसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश, केपीटेशन फीस या अवधारित की गई फीस से अधिक फीस के संग्रहण या किसी संस्था द्वारा लाभ प्राप्त करने के संबंध में शिकायतों को सुन सकेगी और यदि समिति जांच के पश्चात् यह पाती है कि सहायता न पाने वाले व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था की ओर से प्रवेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, तो वह संबंधित व्यक्ति को, संग्रहीत की गई अधिक रकम की वापसी के लिये समुचित अनुशंसा करेगी और सरकार को दस लाख रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित करने के लिये भी अनुशंसा करेगी तथा सरकार ऐसी अनुशंसा की प्राप्ति पर, प्रत्येक ऐसे उल्लंघन की दशा में जुर्माने को निर्धारित करेगी और उसे संग्रहीत करेगी या ऐसी अन्य कार्रवाई के लिये विनिश्चय करेगी, कि जैसा कि वह उचित समझे और इस प्रकार नियत की गई रकम उस पर ब्याज के साथ भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जायेगी और समिति किसी विशेष महाविद्यालय या संस्था में किन्हीं या समस्त स्थानों के संबंध में दिये गये प्रवेश को गुणागुण के विपरीत तथा अविधिमान्य घोषित कर सकेगी तथा संबंधित विश्वविद्यालय को इसे संसूचित करेगी तथा विश्वविद्यालय, ऐसी संसूचना की प्राप्ति पर, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित करेगा एवं पूर्व में दी गई परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर देगा.

(१०) समिति का, यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी सहायता न पाने वाले व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था ने इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, तो वह राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, विश्वविद्यालय या समुचित प्राधिकारी को ऐसे महाविद्यालय या संस्था की संबद्धता या मान्यता वापस लेने के लिये अनुशंसा कर सकेगी या कोई अन्य कार्रवाई करने का विनिश्चय कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे.

(११) समिति को, उसके कृत्यों के निर्वहन में उद्भूत होने वाले समस्त मामलों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जबकि वह किसी वाद का विचारण कर रही हो, सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होंगी, जब तक कि निम्नलिखित मामलों के विषय में वाद का विचारण चल रहा हो, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना तथा हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना.

(१२) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसी संस्था में प्रवेश उचित और पारदर्शी रीति में किया गया है.

७. सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रत्येक प्रवेश, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा और इसके उल्लंघन में किया गया प्रत्येक प्रवेश शून्य होगा. प्रवेश.

८. भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं से भिन्न सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रवेश के प्रक्रम पर स्थानों का आरक्षण किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए. स्थानों का आरक्षण.

अध्याय—चार

फीस का निर्धारण

९. (१) समिति, सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस, विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी; कारक

(एक) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति;

(दो) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

(तीन) भूमि और भवन का मूल्य;

(चार) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद और उपस्कर;

(पांच) प्रशासन तथा संधारण पर व्यय;

(छह) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिये आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य;

(सात) कोई अन्य सुसंगत कारक.

(२) समिति किसी फीस के निर्धारण के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी :

परन्तु समिति द्वारा निर्धारित की गई ऐसी कोई फीस, शिक्षा में मुनाफाखोरी या उसके वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी.

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

१०. राज्य सरकार एक समय में एक वर्ष से अनधिक वर्ष के लिये अपील प्राधिकारी को नियुक्त करेगी जिसमें ऐसा व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या ऐसा व्यक्ति जो राज्य के मुख्य सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो, होगा, और जिसके समक्ष राज्य में समिति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था ऐसे आदेश के पारित होने के ३० दिन की कालावधि के भीतर अपील कर सकेगी. अपील.

११. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

नियम बनाने की शक्ति.

१२. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी.

विनियम बनाने की शक्ति.

१३. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) समिति का गठन एवं कार्य और निबंधन तथा शर्तें;

(ख) व्यावसायिक संस्था में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति और स्थानों का आवंटन जिसमें विदेशी या अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के लिये स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है;

(ग) किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण की रीति या मानदण्ड;

(घ) व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा अभ्यर्थियों पर प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या जो विहित किये जाएं.

नियमों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

१४. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१५. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्षों की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१६. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या अपील प्राधिकारी अथवा समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या सदस्यों के विरुद्ध नहीं होगी.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

१७. (१) मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अध्यादेश, २००७ (क्रमांक ४ सन् २००७) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश का निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2007

क्र. 4859-313-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिल कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2007

THE MADHYA PRADESH NIJI VYAVSAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) ADHINIYAM, 2007.

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I
PRELIMINARY

Sections:

1. Short title, extent and commencement.
2. Application.
3. Definitions.

CHAPTER II
ADMISSION AND FEE REGULATORY COMMITTEE

4. Constitution, composition, disqualification and functions of Committee.

CHAPTER III
ADMISSIONS

5. Eligibility.
6. Common entrance test.
7. Admission.
8. Reservation of seats.

CHAPTER IV
FIXATION OF FEE

9. Factors.

CHAPTER V
MISCELLANEOUS

10. Appeal.
11. Act to have overriding effect.
12. Power to make rules.
13. Power to make regulations.
14. Rules to be laid before Legislative Assembly.
15. Power to remove difficulties.
16. Protection of action taken good faith.
17. Repeal and Savings.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2007.

THE MADHYA PRADESH NIJI VYAVSAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) ADHINIYAM, 2007.

[Received the assent of the Governor on the 4th August, 2007; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazzette (Extra-ordinary)" dated the 4th August, 2007].

An Act to provide for the regulation of admission and fixation of fee in private professional educational institutions in the State of Madhya Pradesh and to provide for reservation of seats to persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes in professional educational institution and the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-eighth year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Application.

2. This Act applies to,—

(a) institutions deemed to be universities, or constitutent units thereto, imparting professional education, other than those promoted and maintained by the Central or State Government; and

(b) the private unaided professional educational institutions affiliated to a university established under the Central or Madhya Pradesh Act.

Definitions.

3. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appropriate authority" means a Central or State authority established by the Central or the State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of professional education;

(b) "capitation fees" means any amount by whatever name called whether in cash or in kind paid or collected or received directly or indirectly in addition to the fees determined under this Act;

(c) "Committee" means the Admission and Fee Regulatory Committee constituted under section 4;

(d) "common entrance test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counseling for the purpose of merit based admission to professional colleges or institutions through a single window procedure by the State Government or by any agency authorized by it;

(e) "fee" means all fee including tuition fee and development charges;

(f) "foreign candidate" means a person holding a foreign passport seeking admission in a deemed university imparting professional education or in a private unaide professional institution in Madhya Pradesh;

(g) "management" means any person or body, by whatever name called, managing and controlling the private unaided professional educational institution;

(h) "minority" means a minority defined under section 2(f) of the National Commission for Minority Educational Institution Act, 2004 (2 of 2005);

(i) "minority institution" means an institution imparting professional education, established and administrated by a minority;

(j) "non-resident Indian" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 115C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(k) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F85-XXV-4-84, dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;

(l) "private unaided professional educational institution" means a professional educational institution which is not receiving recurring financial aid or grant-in-aid from any State or Central Government and which is not extablished or maintained by the Central Government, the State Government or any public body;

(m) "professional course" means a course of study notified as a professional course by the appropriate authority, such as a degree, diploma or certificate by whatever name called;

(n) professional educational institution" means a college or a shcool or an institute by whatever name called, imparting professional education, affiliated to a State University, including a private university established or incorporated by an Act of the State Legislature or constituent unit of a deemed to be university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and approved or recognized by the competent statutory body regulating professional education;

(o) "reserved seats" means the seats reserved in favour of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as may be notified by the State Government;

(p) "sanctioned intake" means and implies the total number of seats sanctioned by an appropriate authority and notified by the State Government for admitting students in each course of study in a professional institution;

(q) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution;

(r) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution.

CHAPTER II
ADMISSION AND FEE REGULATORY COMMITTEE

Constitution, composition, disqualifications and functions of Committee.

4. (1) The State Government shall, by notification in the official Gazette, constitute a Committee to be called the Admission and Fee Regulatory Committee, for the supervision and guidance of the admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a private professional educational institution.

(2) The Committee shall be presided by a Chairperson who has been a Vice-Chancellor of a Central University or a State University or an institution deemed to be University or a senior administrative officer not below the rank of Principal Secretary to the State Government or Joint Secretary to the Government of India and shall include four other members having expertise in matters of finance, administration or law, technical education and medical education.

(3) The term of the Committee shall be three years from the date of its notification and in case of any vacancy arising earlier, for any reason, the State Government shall fill such vacancy for the remainder of the term.

(4) No act or proceedings of the Committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or any defect in the constitution of the Committee.

(5) No person who is associated with a private aided or unaided educational institution shall be eligible for being a member of the Committee.

(6) The Chairperson or any member of the Committee shall cease to be so, if he performs any act, which in the opinion of the State Government is unbecoming of Chairperson or a member of the Committee.

(7) The Committee may frame its own procedure in accordance with the regulations notified by the State Government in this regard.

(8) The Committee may require a private aided or unaided professional educational institution or, a deemed University to furnish, by a prescribed date, information as may be necessary for enabling the Committee to determine the fee that may be charged by the institution in respect of each professional course, and the fee so determined shall be valid for such period as notified by the State Government.

(9) The Committee may hear complaints with regards to admission in contravention of the provisions contained herein, collecting of capitation fee or fee in excess of fee determined or profiteering by any institution, and if the Committee after enquiry finds that there has been any violation of the provisions for admission on the part of the unaided professional colleges or institution, it shall make appropriate recommendations for returning any excess amount collected to the person concerned, and also recommend to the Government for imposing a fine upto rupees ten lakhs, and the Government may or receipt of such recommendation, fix the fine and collect the same in the case of each such violation or decide any other course of action as it deem fit and the amount so fixed together with interest thereon shall be recovered as if it is an arrear of land revenue, and the committee may also declare admission made in respect of any or all seats in a particular college or institution to be dehors merit and therefore invalid and communicate the same to the concerned university, and on the receipt of such communication, the University shall debar such candidates from appearing in the examination and cancel the results of examination already appeared for.

(10) The Committee may, if satisfied that any unaided professional college or institution has violated any of the provision of this Act and after approval of the State Government, recommend to the University or appropriate authority for withdrawal of the affiliation or recognition of such college or institution or decide any other course of action as it deems fit.

(11) The Committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions and shall for the purposes of making any enquiry under this Act have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2013—भाद्र 21, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. 8103-255-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 सितम्बर, 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३२ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, २०१३

[दिनांक ७ सितम्बर, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ सितम्बर, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, २००७ (क्रमांक २१ सन् २००७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख) केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं तथा उनकी संघटक संस्थाएं.".

धारा ३ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ड) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अथवा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई विभाग या कोई संस्था चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो और जो राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है या उसकी कोई संघटक इकाई है अथवा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ३ के अधीन विश्वविद्यालय समझा गया हो;"

धारा ४ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१)(क) समिति, सहायता न पाने वाली किसी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की, उसके द्वारा इसके अधीन अधिकथित उपबंधों के उल्लंघन में प्रवेश देने अथवा अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित किए गए शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने अथवा कैपिटेशन फीस प्राप्त करने अथवा मुनाफाखोरी करने के संबंध में, कोई शिकायत प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से जांच कर सकेगी.

(ख) समिति, खण्ड (क) के प्रयोजन कार्य किए जाने के प्रयोजन से संस्था का निरीक्षण करवा सकेगी:

परन्तु समिति, राज्य सरकार या संबंधित विश्वविद्यालय या समुचित प्राधिकारी के आदेश पर, संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई किसी निरीक्षण रिपोर्ट का संज्ञान ले सकेगी.

(च) यदि जाच के परिणामस्वरूप समिति यह पाता है कि ऐसी संस्था द्वारा प्रवेश अथवा फीस के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है, तो वह ऐसी संस्था के विरुद्ध निम्न में से एक या अधिक कार्रवाइयां कर सकेगी :—

(एक) संस्था पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना उस पर १२ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अधिरोपित कर सकेगी जो इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया हो;

(दो) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दिए गए किसी प्रवेश को अवैध घोषित कर सकेगी, जिस पर संस्था ऐसे अभ्यर्थी का प्रवेश तुरन्त निरस्त कर देगी और संबंधित विश्वविद्यालय ऐसे छात्र का नामांकन निरस्त कर देगा और किसी ऐसी परीक्षा के उसके परिणाम को निरस्त कर देगा जिसमें कि अभ्यर्थी पूर्व में ही सम्मिलित हो चुका है;

(तीन) संस्था को, किसी छात्र को, ऐसे समय के भीतर, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक प्राप्त की गई कोई राशि अथवा कैपिटेशन फीस के रूप में प्राप्त की गई कोई राशि या मुनाफे के लिये प्राप्त की गई कोई राशि वापस करने का आदेश दे सकेगी :

परन्तु यदि संस्था छात्र को, विनिर्दिष्ट समय के भीतर राशि वापस करने में असफल रहती है तो वह, उस पर १२ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित, भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किये जाने योग्य होगी और छात्र को संदत्त की जाएगी.

(चार) संस्था को, ऐसी कालावधि के लिये, जैसी कि वह उचित समझे, किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश रोकने या स्वीकृत अन्तर्ग्रहण को कम करने का आदेश दे सकेगी;

(पांच) विश्वविद्यालय अथवा संबंधित समुचित प्राधिकारी से संस्था की मान्यता वापस लेने की सिफारिश कर सकेगी;

(छह) ऐसी कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे.

५. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :— धारा १० का संशोधन.

"१०. (१) राज्य सरकार, एक बार में तीन से अनधिक वर्ष के लिये, एक अपील प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जो ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या जो राज्य के मुख्य सचिव की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का पद धारण कर चुका हो, जिसके समक्ष समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अथवा कोई व्यावसायिक संस्था, ऐसा आदेश पारित किए जाने से ३० दिन की कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकेगी. अपील.

(२) किसी अपील की सुनवाई के दौरान अपील प्राधिकारी, समिति से अभिलेख मंगाने के पश्चात् तथा अपीलार्थी एवं समिति दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा और अपील में किया गया विनिश्चय अंतिम होगा.".

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2013

क्र. 8104-255-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 32 of 2013

THE MADHYA PRADESH NIJI VYAVSAYIK SHIKSHAN SANSTHA (PRAVESH KA VINIYAMAN AVAM SHULK KA NIRDHARAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013

[Received the assent of the Governor on the 7th September, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th September, 2013.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Sanshodhan Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007) (hereinafter referred to as the principal Act), for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) the private unaided professional educational institutions affiliated to an university established under the Central Act or incorporated by an Act of State Legislature and their constituent institutions".

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, for clause (n), the following clause shall be substituted, namely:—

"(n) "Professional educational institution" means a college or a school or a department or an institution by whatever name called, imparting professional education approved or recognized by an appropriate authority and which is affiliated to or is a constituent unit of an University established or incorporated by an Act of the State Legislature or a deemed to be university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956).".

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act, for sub-section (9), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(9) (a) The Committee either on receipt of a complaint or suo motu may enquire into admission made in contravention of the provisions contained hereunder or collection of fee in excess of the fee determined under the provisions of the Act, or realization of capitation fee or profiteering by any private unaided professional educational institution.

(b) The Committee may cause an inspection of the institution for the purpose of making enquiry under clause (a):

Provided that the Committee may take cognizance of any inspection report prepared by the concerned department at the behest of the State Government or the concerned University or the appropriate authority.

(e) If as a result of the enquiry the Committee finds that there has been any violation by such institution of the provisions of the Act or rules and regulations made thereunder regarding admission or fees, it may take one or more of the following actions against such institution :—

(i) impose a fine up to ten lac rupees on the institution together with interest thereon at the rate of 12 percent per annum which may be recovered as if an arrear of land revenue;

(ii) declare any admission made in contravention of the provisions of the Act invalid; whereupon the institution shall forthwith cancel the admission of such candidate and the concerned university shall cancel the enrolment of such student and cancel his results of any examination in which the candidate has already appeared;

(iii) order the institution to refund to a student within such time as specified in the order, any amount received by it in excess of the fees fixed by the Committee or any amount received by way of capitation fee or any amount received for profiteering :

Provided that if the institution fails to refund the amount within the specified time to the student, the same shall be recoverable along with interest thereon at the rate of 12 percent per annum as an arrear of land revenue and paid to the student;

(iv) order the institution to stop admission or reduce the sanctioned intake in any professional course for such period as it may deem fit;

(v) recommend to the university or the appropriate authority to withdraw the recognition of the institution.

(vi) any other course of action, as it deems fit."

5. For section 10 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :— **Amendment of section 10.**

"10. (1) The State Government shall appoint for not more than three years at a time, an appellate authority, consisting of a person, who has been a judge of the High Court, or a person who has held office not below the rank of the Chief Secretary of a State, before which a person or a professional institution aggrieved by an order of the Committee may file an appeal, within a period of 30 days of passing of such an order. **Appeal.**

(2) While hearing an appeal the Appellate Authority after calling for the records from the Committee and after giving an opportunity of hearing to both the appellant and the Committee shall decide the appeal and the decision made in the appeal shall be final.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 452] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2013—आश्विन 3, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013

शुद्धि-पत्र

क्र.-21-अ(प्रा.).—शुद्धि-पत्र "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण), दिनांक 12 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन अंकों एवं शब्द के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिया गए अंक और शब्द पढ़े जाए:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ अंक और शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह अंक और शब्द आए हैं (2)		शुद्ध अंक और शब्द जो पढ़े जाए (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
15 सितम्बर, 2013	836(1)	32	12 सितम्बर, 2013

राजेश यादव, उपसचिव.

... —2013.